

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेय कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक

/स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल,दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिसूचित संबंधित नियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले इकाईयों के समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षण (Routine Inspection) व इसीप्रकार समय-समय पर की जाने वाली मानिट्रिंग (Routine Monitoring) की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। इसके स्थान पर रेन्डम इन्स्पेक्शन व रेन्डम मानिट्रिंग की व्यवस्था लागू की जाती है जिसमें लॉटरी सिस्टम के माध्यम से निरीक्षण व मानिट्रिंग हेतु इकाईयों के नाम निकाले जावेंगे तथा तदनुसार निरीक्षण व मानिट्रिंग का कार्य संपादित किया जावेगा।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ०क्रमांक ४६७ /स्था/प्रनिबो/2015
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक

20 APR 2015

- 1 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर दिनांक 09/04/2015 को मुख्यमंत्री कार्यालय में Ease of Doing Businss के अन्तर्गत हुई समीक्षा बैठक के परिपालन में कृपया सूचनार्थ।
- 2 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3 समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व पालनाथ।
- 4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/उपक्षेत्रीय अधिकारी/एकल खिड़की प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
- 5 आईटी शाखा/गार्ड फाईल।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

म प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल